

सोमवार

दिनांक :- 25-12-2017

शांति भंग करने के 12 आरोपी गिरफ्तार :-

बच्चू सिंह हैड कानि० थाना बाँली ने रामकिशन पुत्र मौजीराम जाति मीना निवासी मलवास थाना नागलराजावतान जिला दौसा , उमराव पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी गोदावासा थाना रामगड पंचवारा जिला दौसा , उमेश पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी कोरडा खुर्द थाना सिकन्दरा जिला दौसा , राजेन्द्र पुत्र गोहीराम जाति मीना निवासी आंगावली थाना सिकन्दरा जिला दौसा , प्रमोद पुत्र कैलाश जाति मीना निवासी गुमानपुरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार गिरिराज प्रसाद स०उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने श्री मुकीम खान पुत्र मुबीन कुरेशी उम्र 24 साल , मो सईद पुत्र सलीम उम्र 35 साल , नजर मोहम्मद उर्फ नज्जू उर्फ नाजू पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 36 साल समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान बहतेड थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अजीत सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना बहरावण्डा कलॉ ने महेश पुत्र रामकल्याण माली उम्र 32 साल , गोकुल पुत्र देव्या माली उम्र 59 साल निवासीयान क्यारदा कलां थाना बहरावण्डा कलॉ को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार लक्ष्मण सिंह हैड कानि० थाना कोतवाली ने राजेन्द्र पुत्र श्री मदन माला उम्र 41 साल निवासी शेरपुर थाना कोतवाला स०मा० व ब्रजमोहन पुत्र श्री मदन माला उम्र 32 साल निवासी शेरपुर थाना कोतवाला स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 02 आरोपी गिरफ्तार :-

रमेश चन्द स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री हेंमराज पुत्र श्री रामजीलाल जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सारसोप थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

साबिर खान स०उ०नि० थाना कोतवाली ने रामचन्द्र पुत्र श्री शिवराम बैरवा उम्र 42 साल निवासी भडेरडा खटुपुरा थाना मानटाउन स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 07 आरोपी गिरफ्तार :-

रमेश चन्द स०उ०नि० थाना मानटाउन ने 01- श्री तुलसीराम पुत्र श्री राजू जाति नट उम्र 25 साल निवासी बिनावा बस्ती थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर 02- श्री नौशाद पुत्र श्री अब्दुल सत्तार जाति मेवाती उम्र 29 साल निवासी बगीची बन्दा भगत आगरा थाना ताजगंज जिला आगरा उ०प्र० 03- श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कजोड जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी मुई थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर 04- श्री भरत लाल पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी भाडौती थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर। को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार साबिर खान स०उ०नि० थाना कोतवाली ने माजिद पुत्र श्री मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी मिजा मोहल्ला शहर स०मा० व शाहिद पुत्र श्री मोहम्मद अहमद जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी राजबाग शहर स०मा० व शकॉल पुत्र श्री जहरुद्दौन जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी राजबाग शहर स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

रमेशपाल स०उ०नि० थाना खण्डार ने फरार स्थायी वारंटी प्रवीण उर्फ छोटू पुत्र शेरा उर्फ शेरसिंह निवासी दौलतपुरा हाल शिमला थाना खेतडी जिला झुन्झुनु को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जे०एम० साहव खण्डार के द्वारा केस नं० 13/2006 धारा 447,34 ता०हि० में स्थायी वारण्ट जारी किया गया था।